

R
15/9/22
05:37pm

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी

शुद्धि-पत्र

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक-3324/एसएलएसए-99/2019 (ऋ/हैदर), दिनांक-08.09.2022 के अनुपालन में जनपद बाराबंकी में आपराधिक मामलों में वंचितों तथा कमजोर वर्ग की प्रतिरक्षा हेतु लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल की स्थापना की जानी है जिस हेतु चीफ/डिप्टी/असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक-12.09.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि **दिनांक-19.09.2022** निर्धारित की गयी है परन्तु उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र सं०-3400/एसएलएसए-99/2019 (हैदर/री), दिनांकित-13.09.2022 के द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अन्तिम तिथि **दिनांक-20.09.2022** किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है। अतः उक्त पत्रांक के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में चीफ/डिप्टी/असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पदों हेतु नियुक्ति के विज्ञापन को शुद्ध करते हुये उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि **दिनांक-20.09.2022, सायं 05:00 बजे** निर्धारित की जाती है। उक्त आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के कार्यालय में जमा किये जायेगे।

दिनांक-15.09.2022

भवदीय,

(आदर्श श्रीवास्तव)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बाराबंकी

प्रतिलिपि:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
3. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. सूचना अधिकारी, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित की जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. केन्द्रीय नाजिर नजारत अनुभाग को जिला न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।

भवदीय,

(आदर्श श्रीवास्तव)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बाराबंकी